कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/— /2025 दि0 लखनऊः दिसम्बर 01, 2025

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 1364/2025 दिनांक 31–10–2025 के द्वारा जनपद सहारनपुर में युगलपीठ का गठन **दिनांक 15–12–2025 से 17–12–2025** तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2 लखनऊ एवं न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–अलीगढ को नामित किया गया था।

न्यायिक सदस्य, पीठ–अलीगढ के पत्र संख्या–313 दिनांक 17–11–2025 एवं सदस्य, पीठ–सहारनपुर के पत्र संख्या–260 दिनांक 15–11–2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 13–11–2025 से 15–11–2025 तक सहारनपुर में गठित युगल में अपीलों का निस्तारण किया गया है, तदोपरान्त सहारनपुर में युगल पीठ में लम्बित अपीलों की संख्या मात्र 01 (एक) है, जिसके कारण वर्तमान में गठित युगल पीठ दिनांक 15–12–2025 से 17–12–2025 की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन आदेश सं0 1364/2025 दिनांक 31–10–2025 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, जनपद–सहारनपुर में **दिनांक 15–12–2025 से 17–12–2025** तक गठित युगलपीठ, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। उपरोक्त गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

Sd/-01.12.2025
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/1470 /2025 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, सहारनपुर पीठ, सहारनपुर।
2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–अलीगढ, अलीगढ ।
3– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–द्वितीय लखनऊ, लखनऊ ।
4– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ ।
5– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेव अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।